16/2/2009-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-सी.सी.एस.(आर.पी.) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के पश्चात् असाधारण छुट्टी (बिना चिकित्सीय प्रमाण-पत्र) के मामले में अगली वेतन वृद्धि की तारीख के विनियमन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

सी सी एस (आर पी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधित वेतन ढांचे में वेतन-वृद्धि को सी सी एस (आर पी) नियमावली, 2008 के नियम 10 की शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाना है । यह नियम उल्लिखित करता है कि वार्षिक वेतन-वृद्धि की एक सदृश तारीख अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई होगी । संशोधित वेतन-ढांचे में 1 जुलाई को 6 महीने तथा उससे अधिक अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन-वृद्धि प्रदान किए जाने के पात्र होंगे ।

2. सी सी एस (आर पी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के पश्चात् ई ओ एल (बिना चिकित्सीय प्रमाण-पत्र) के मामले में अगली वेतन-वृद्धि की तारीख के विनियमन के मसलों की व्यय विभाग के परामर्श से जांच की गई है ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 18.02.1986 के कार्यालय ज्ञापन में निहित शर्तों में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त ई ओ एल (बिना चिकित्सीय प्रमाण-पत्र) के आधार पर पिछले वर्ष की 1 जुलाई से विचाराधीन वर्ष की 30 जून तक की तारीख के बीच में 6 माह से कम अर्हक सेवा पूरी होने पर वेतन-वृद्धि को अगले वर्ष की एक जुलाई तक आस्थगित कर दिया जाएगा । इसी प्रकार की सीमा उन मामलों पर भी लागू होगी जिनमें वेतन-वृद्धि 01.07.2006 को देय हुई थी । इस विभाग के दिनांक 08.02.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/20/85-स्था.(छुट्टी) की शर्तों के अनुसार निम्न उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई ई ओ एल आगे अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही

अर्हक सेवा के रूप में स्वतः गिनी जाएगी :-

i. नागरिक अशान्ति (सिविल कमोशन) के आधार पर सरकारी कर्मचारी कार्य भार ग्रहण अथवा पुनः कार्य-भार ग्रहण करने में अक्षमता के कारण प्रदान की गई ई ओ एल ।

ii. सरकारी कर्मचारी को उच्च तकनीकी अथवा वैज्ञानिकी अध्ययन करने हेतु प्रदान की गई ई ओ एल ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (स्टैंडर्ड डाक सूची के अनुसार).
2. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली 110001.
3. निदेशक (जे.सी.ए.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
4. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को "क्या है नया" और "स्थापना-वेतन नियम" में अपलोड करने के लिए ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक